रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1992/अग्रहायण 4, 1914
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1992/AGRAHAYANA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 80 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1992

विशेष :— विदेशी सहायता से वित्त पोषित होने वाले आयातों के संबंध में सीधे भुगतान/बचनबद्धता प्रक्रिया पत्र के अन्तर्गत भारतीय आयातकों से रुपया निक्षेप की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली मिश्रित विनिमय दरों में संशोधन।

फा. सं. आई पी सी/23/37/85—88 :—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 113-आई टी सी (पी एन)/88—91 दिनांक 6-4-1989 तथा सं. 14-आई टी सी (पी एन)/92—97 दिनांक 15 जून, 1992 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध पद्धति (एल ई आर

एमएस) के लागू होने तथा उसके अन्तर्गत विदेशी सहायता संबंधी लेन देन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सूचना सं. 14-आई टी सी (पी एन)/92—97 दिनांक 15-6-1992 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

सार्वजनिक सूचना सं. 14-आई टी सी (पी एन)/92-97 दिनांक 15-6-92 में पैरा 1 के उप पैरा 2 में आने वाले [illegible] बाजार दरों के स्थान पर [illegible] सहायता प्राप्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्रय दरों पढ़ी जाए।

यह संशोधन 1 मार्च, 1992 से लागू है तथा 1-3-1992 को या इसके बाद विदेशी सहायता ऋणों तथा अनुदानों [illegible] भुगतानों के संबंध में उक्त दी संशोधन के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

जी. सुन्दरम, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 80(PN)/92—97

New Delhi, the 25th November, 1992

Subject :—Revision of Composite Rates of Exchange to be adopted for the recovery of rupee deposits from Indian importers under Direct payments Letter of Commitment Procedure in respect of imports financed out of External Assistance.

F. No. IPC/23/37/85—88.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 113-ITC(PN)/88—91 dated 6-4-1989 and No. 14-ITC (PN)/92—97 dated 15th June, 1992 on the above subject. Consequent upon the introduction of the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) and the accounting of external aid transactions thereunder, the Public Notice No. 14-ITC(PN)/92—97 dated 15-6-1992 is amended as under :—

For the words "RBI Buying Market Rates" appearing in sub-para 2 of para 1 in Public Notice No. 14-ITC(PN)/92—97 dated 15-6-1992 substitute "RBI Buying rates for Government Aid Receipts".

The amendment takes effect from 1st March, 1992 and the transactions relating to payments made to suppliers out of External Assistance Loans and Grants on or after 1-3-1992 will be regulated as per the amendment.

G. SUNDRAM, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1992